पत्रांक–5न0वि0/विविध–160/2015 3977 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांकः– 14/6/17

विषयः– मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना में भाग लेने हेतु स्व–निर्धारण प्रपत्र में आवेदन करने के संबंध में।

महाशय,

सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से नगर निकायों में स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना का संकल्प लिया गया है। उक्त योजना को कार्यान्वित करने हेतु एक विस्तृत मार्गदर्शिका बनायी गई है, जिसमें उक्त योजना में भाग लेने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश का उल्लेख किया गया है (संलग्न)।

वर्ष 2017 की प्रतियोगिता में यदि आप भाग लेना चाहते है तो आपके नगर निकाय द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान सम्पादित कार्यों का संलग्न प्रपत्र में अंकों का स्व निर्धारण कर साक्ष्य दस्तावेजों के साथ दिनांक–20.07.2017 तक आवश्यक रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्रस्तुत करें। साक्ष्य दस्तावेज सहित आवेदन **email: udhd.bih@gmail.com** पर भी प्रेषित किया जा सकता है। दिनांक–20.07.2017 संध्या 6.00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मार्गदिर्शका के 8वें घटक (जनता की धारणा) पर अंकों के निर्धारण के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है।

संलग्न–मार्गदर्शिका एवं अंक स्वनिर्धारण प्रपत्र

विश्वासभाजन
13/6/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना के संबंध में।

सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 में शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" लागू करने का संकल्प शामिल किया गया है।

2. शहरी स्थानीय निकायों को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" लागू किया जा रहा है। जिसके मुख्य अवयव निम्नवत् है:–

(क) शहरी स्थानीय निकायों की उपलब्धि का आंकलन, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निम्नालिखित 8 आधारों पर किया जाएगा:–

(i) प्रशासन

(ii) आधारभूत ढांचा का विकास

(iii) वित्तीय प्रबंधन

(iv) सामाजिक विकास

(v) नवाचार के प्रयास

(vi) आवास

(vii) लोक भागीदारी

(viii) जनता की राय

(ख) उक्त आठों घटकों को उपघटकों में विभाजित किया गया है। प्रस्तावित घटक/उपघटक/अधिभार का विवरण संलग्न है। हर उपघटक के अंतर्गत उपलब्धि के आधार पर अधिभार का प्रावधान किया जाएगा।

(ग) वित्तीय वर्ष की उपलब्धि के आधार पर राज्य के सर्वोत्कृष्ट 01 नगर निगम को पांच करोड़ रूपये, प्रथम एवं द्वितीय नगर परिषदों को तीन–तीन करोड़ रूपये एवं प्रथम एवं द्वितीय नगर पंचायतों को एक–एक करोड़ रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जाएगी।

(घ) यह राशि संबंधित नगर निकाय, बोर्ड के निर्णयानुसार नगरपालिका अधिनियम में उद्भूत दायित्वों के निर्वहन पर खर्च कर सकेगी।

(ड) एक नगर निकाय के एक से अधिक वित्तीय वर्षों में भी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

(च) नगर निकायें, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिनका तटस्थ मूल्यांकन कराया जाएंगे।

3. इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अग्रेतर दिशानिर्देश एवं यथोचित संशोधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

4. इस योजना में प्रतिवर्ष 13.00 करोड़ रूपये (तेरह करोड़ रूपये) ... 2015–16 की उपलब्धि के आधार पर वर्ष 2016–17 में प्रारंभ की ... तदनुसार प्रावधान कराया जाएगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–09.02.2016 में मद संख्या–32 के ...

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार ... किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

16-2-16

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 न0वि0/वि0–160/2015 1039 /न0वि0एवंआ0वि /पटना, दिनांक–17/2/16

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग गजट शाखा को सी0डी0 के साथ बिहार गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16-2-16

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 न0वि0/वि0–160/2015 1039 /न0वि0एवंआ0वि /पटना, दिनांक–17/2/16

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, महालेखाकार का कार्यालय, वीर चन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16-2-16

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 न0वि0/वि0–160/2015 1039 /न0वि0एवंआ0वि /पटना, दिनांक–17/2/16

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/राज्य के सभी नगर निकाय/सभी कोषागार पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16-2-16

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना
क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका

बिहार राज्य के नगर निकायों में शासन और नागरिक सेवा प्रदायगी में सुधार, नागरिक जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, जबावदेही, कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं शहरी स्थानीय निकायो को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत नगर निकायों के बीच वार्षिक प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। जिसपर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्थानीय नगर निकायों की उपलब्धियों का आकलन निम्नलिखित आधारों पर किया जायेगाः–

1. शासन
2. आधारभूत संरचना का विकास
3. वित्तीय प्रबंधन
4. सामाजिक विकास
5. गत वर्ष में किया गया अभिनव कार्य
6. आवास
7. लोक भागीदारी
8. जनता की धारणा/राय

उपर्युक्त सभी घटकों/आधारों को उपघटकों में विभाजित किया गया है तथा इसके अंतर्गत उपलब्धि के आधार पर भारिता का प्रावधान किया गया है।

कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

(क) प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु घोषणा एवं उसकी पुष्टि

- प्रतियोगिता प्रतिवर्ष सामान्यतः जून माह में आयोजित की जायेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतियोगिता की औपचारिक घोषणा की जायेगी एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से इसे प्रचारित किया जाएगा।
- नगर निकायों को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

(ख) नगर निकायों द्वारा स्व–निर्धारण

- प्रारंभ में नगर निकायों द्वारा अपने क्षेत्र में प्रतियोगिता के बारे में प्रचार–प्रसार अभियान चलाया जायेगा।
- जिन मानको पर नगर निकायों का चयन होगा उनको प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी नगर निकायों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जायेगा।

- नगर निकाय के लिए स्व–निर्धारण तथा सत्यता की जाँच हेतु सभी प्रासंगिक दस्तावेज का संकलन आवश्यक होगा।
- सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ स्व–निर्धारण पूरा कर विभाग में समर्पित करने हेतु नगर निकायों को दो सप्ताह का समय दिया जायेगा।
- प्रतियोगिता बन्द होने के पश्चात् किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज को जमा करने की अनुमति नगर निकायों को नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक मानदण्डों/उप मानदण्डों के लिए अधिकतम अंक निर्धारित है। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले नगर निकायों को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा।
- वस्तुपरक मापदण्डों के अंको का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगाः–

  100% – उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए

  80% – बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए

  40% – अच्छे प्रदर्शन के लिए

  0% – खराब प्रदर्शन के लिए

- जनता की धारणा से संबंधित सूचना को एकत्रित करने हेतु नगर निगम एवं नगर परिषद ऑनलाइन Portal पर नागरिकों से जनमत प्राप्त करेंगे जो प्रतियोगिता समाप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिन पूर्व तक खुला रहेगा। जबकि नगर पंचायतों में जनता की धारणा संबंधी मापदण्ड के अंक हेतु नगर पंचायत गत 6 माह में नागरिको से प्राप्त शिकायत एवं उनके निराकरण की सूची संलग्न करेगे जिसे विभाग द्वारा एम0आई0एस0 सेल में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण के आंकड़ों से सत्यापित किया जाएगा।
- वैकल्पिक तौर पर "जनता की धारणा" का आँकलन करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी अपने स्तर पर पदाधिकारियों का एक दल गठित करेंगे जो समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से Random आधार पर पूछताछ कर नगर निकाय की कार्यप्रणाली के बारे में आंकलन कर अंकों का निर्धारण कर प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला पदाधिकारी अंकों की समीक्षा कर प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित करेंगे।

(ग) **नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत स्व–निर्धारण की जाँच**

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो समर्पित दस्तावेज के साथ पूरे प्रारूप का मूल्यांकन करेगी।
- विभाग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर नगर निकायों की random जांच की जा सकती है।

(घ) पुरस्कार

59

- विभिन्न वर्गों के नगर निकायों के समूह की तुलना उसी प्रकार के नगर निकाय के साथ की जायेगी। बोधगया को नगर परिषद की श्रेणी में ही माना जायेगा। नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के लिए स्कोर अलग से संकलित तथा क्रमांकित किया जाएगा।
- गत वर्ष की उपलब्धि के आधार पर राज्य के सर्वोत्कृष्ट 01 नगर निगम को पाँच करोड़ रूपये, सर्वोत्कृष्ट 2 नगर परिषदों को तीन–तीन करोड़ रूपये एवं सर्वोत्कृष्ट 3 नगर पंचायतों को एक–एक करोड़ रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जाएगी।
- किसी भी श्रेणी में बराबरी रहने पर, पुरस्कार की राशि को समान रूप से नगर निकायों के बीच विभाजित किया जाएगा।
- पुरस्कार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आयोजित समारोह में दिया जाएगा। नकद पुरस्कार के साथ–साथ, विजेता नगर निकायों को एक 'प्रशस्ति पत्र' दिया जाएगा।
- संबंधित वर्ष के सभी 6 विजेता नगर निकायों में निर्धारण वर्ष में अधिकतम अवधि तक कार्यरत नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में 'विशेष उल्लेख' किया जाएगा।

(ड,) **नगद पुरस्कार की राशि का उपयोग**

- पुरस्कार राशि को नगर निकाय, बोर्ड के निर्णयानुसार नगरपालिका अधिनियम में उद्धृत दायित्वों के निर्वहन पर खर्च किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना
सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के प्रदर्शन के चयन के लिए मापदण्ड

क्र0 सं0	मानदण्ड	अधिकतम अंक	स्वः निर्धारित अंक
A	**अभिशासन (Governance)**	25	
A.1	नगर निकायों के कार्यालय में उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के उपयोग के द्वारा वर्ष में 150 दिन के लिये किया जाता है। (हाँ/नहीं)	2.00	
A.2	कार्य क्षेत्र में उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के उपयोग के द्वारा वर्ष में 150 दिन के लिये किया जाता है। (हाँ/नहीं)	1.00	
A.3	बढी हुई जनशक्ति परिनियोजन (%परिनियोजन विरूद्ध मंजूर पद)	2.00	
A.4	क्या नगर निकायों ने स्थायी सर्विस लेवल बैंचमार्क लागू किया है और इसे जनता की भागीदारी के लिये प्रदर्शित किया गया है। (हाँ/नहीं)	2.50	
A.5	क्या नगर निकायों में ऑन लाइन शिकायत निवारण सिस्टम कार्यरत है। (हाँ/नहीं)	2.00	
A.6	विभिन्न प्रकार के शिकायतों का निराकरण (परिवर्तन के प्रतिशत का माप)	2.50	
A.7	ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता का भुगतान RTGS के माध्यम से। (हाँ/नहीं)	2.50	
A.8	क्या नगर का GIS नक्शा उपलब्ध है। (हाँ/नहीं)	2.00	
A.9	जीआईएस आधारित संपत्ति सर्वेक्षण पूरा हो गया है या प्रगति पर है। (हाँ/नहीं)	2.50	
A.10	GIS डेटा का नगर निकायों के डेटा के साथ मिलान का प्रतिशत। (हाँ/नहीं)	1.00	
A.11	सभी योजना का ऑनलाइन निगरानी सिस्टम।	2.50	
A.12	क्या मासिक E-news letter का प्रकाशन लगातार कराया जा रहा है हाँ/नही (कम से कम 10)	2.50	
B	**बुनियादी ढांचा (INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT)**	40	
B.1	**ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (Solid Waste Management)**	10	
B.1.1	परिवारों की संख्या को कवर door to door संग्रह (% में)	5.00	
B.1.2	क्या प्रसंस्करण के लिए भूमि का संयत्र/लैंडफिल/खरीद/अधिग्रहण	2.50	
B.1.3	ठोस अपशिष्ठ का प्रतिशत सालानों कार्रवाई की जा रही	2.50	
B.2	**जलापूर्ति (Water Supply)**	10	
B.2.1	परिवारां की संख्या नल–जल आपूर्ति के साथ कवर किया (% में)	2.00	
B.2.2	परिवारां की संख्या मीटर कनेक्शन के साथ कवर किया (% में)	4.00	
B.2.3	जल प्रभार राजस्व निर्धारण वर्ष के दौरान एकत्र (% घरों को कवर लियां)	4.00	
B.3	**सीवरेज एवं स्वछता (Sewerage & Sanitation)**	10	
B.3.1	परिवारों की कुल संख्या जिन्हें टॉयलेट का सुविधा उपलब्ध है (% में) जिसमें सार्वजनिक शौचालय उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या जोड़ी गयी हो किन्तु परिवार जिन्हें पिट लैट्रिन अथवा इन्सैनेटरी लैट्रिन की सुविधा हो उनकी संख्या ना जोड़ी गयी हो	2.50	
B.3.2	10,000 की आबादी पर प्रति कार्यात्मक सार्वजनिक शौचालयों की संख्या	2.50	
B.3.3	परिवारों की संख्या सीवर लाइन से जोड़ा	2.50	
B.3.4	क्या मलजल उपचार संयंत्र कार्यात्मक है (हाँ/नहीं)	2.50	
B.4	**अन्य बुनियादी सुविधाओं (other Infrastructure)**	**10**	
B.4.1	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित पार्कों की संख्या (पार्कों कि संख्या/वार्ड कि संख्या x100)	4.00	
B.4.2	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा शहर में अनुरक्षित पार्किंग स्थल की संख्या (पार्किंग स्थलों की संख्या/वार्ड कि संख्या x100)	2.50	
B.4.3	सुनियोजित वेंडिंग जोन की संख्या (वैंडिंग जोन की संख्या/फुटकर पथ विक्रेताओं क संख्या x100)	2.50	

C	**नगरपालिका वित्त (Municipal Finance)**	**25**	
C.1	इस वर्ष के लिये प्रति व्यक्ति संपत्ति कर का संग्रहण। (% की वृद्धि)	2.50	
C.2	इस वर्ष के लिये अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का प्रति व्यक्ति कुल आय का संग्रहण। (% की वृद्धि)	2.50	
C.3	केन्द्रीय अनुदान का उपयोग। (कुल केन्द्रीय अनुदान के % में व्यय प्राप्त)	2.50	
C.4	राज्य अनुदान का उपयोग। (कुल राज्य अनुदान में से % खर्च)	2.50	
C.5	क्या नगर निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली लागू है (हाँ/नहीं)	2.50	
C.6	क्या नगर निकायों में स्थायी संपत्ति रजिस्टर तैयार एवं अनुमोदित है (हाँ/नहीं)	2.50	
C.7	क्या बजट 15 फरवरी तक अनुमोदित किया जा चूका है (हाँ/नहीं)	2.50	
C.8	क्या पिछले वित्तीय वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष तक का सी0ए0 ऑडिट किया जा चुका है (हाँ/नहीं)	2.50	
C.9	वार्षिक उपयोगिता (% उपयोगिता)	2.50	
C.10	क्या ऑडिट रिपोर्ट के मिलने के 3 महीनों के भीतर ऑडिट एक्शन लिस्ट बनाया गया एवं नगर निकाय के बोर्ड तथा नगर विकास विभाग में प्रस्तुत किया गया (हाँ/नहीं)	2.50	
D	**समाजिक विकास (Social Development)**	**25**	
D.1	स्वयं सहायता समूह – शहर में प्रति 10000 जनसंख्या पर बनाये गए समूहो की संख्या	12.50	
D.2	शहर में प्रति 10000 जनसंख्या पर निर्मित एवं अनुरक्षित रैन बसेरी की संख्या	12.50	
E	**रिपोर्टिंग वर्ष में परिवर्तनात्मक कार्य (Innovative work done in reporting year)**	**10**	
E.1	CCTV कैमरा लगाए गए (शहर में प्रति 10000 जनसंख्या पर कैमरों की सेख्या)	2.00	
E.2	सजावटी LED स्ट्रीट लाइट लगाए गए (शहर में प्रति 10000 जनसंख्या पर स्ट्रीट लाइट्स की सेख्या)	2.00	
E.3	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की गाड़ियों में GPS ट्रेंकिंग प्रणाली का उपयोग (यंत्रों का प्रतिशत)	2.00	
E.4	ओपन एयर जिम की स्थापना (प्रति वार्ड संख्या)	2.00	
E.5	स्वचालित पार्किंग फीस सुविधा	2.00	
F	**आवास (Housing)**	**25**	
F.1	प्रति 100 परिवार अतिरिक्त घरों का निर्माण	25.00	
G	**सार्वजनिक भागीदारी (Public Participation)**	**25**	
G.1	वार्ड स्तर पर आयोजित बैठको की कुल संख्या (कुल बैठक/12 x कुल वार्ड)	10.00	
G.2	स्थायी समिति की आयोजित बैठको की संख्या (कुल बैठक/52)	7.50	
G.3	बोर्ड की बैठको की कुल संख्या (कुल बैठक/12)	7.50	
H	**जनता की धारणा (Public Perception) (प्रति व्यक्ति गणना श्रेष्ठ–10, बहुत अच्छा–8, अच्छा–4, कमजोर–0)**	**50**	
H.1	अभिशासन	10.00	
H.2	सफाई	10.00	
H.3	जलापूर्ति	10.00	
H.4	विकास के लिए प्रयास	10.00	
H.5	नागरिक सुविधा	10.00	